

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 102
गुरुवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ, 1945 (शक)

सतत उत्पादकता पर ध्यान दिया जाना

102. श्री एम. शनमुगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सतत उत्पादकता, विशेष रूप से महिलाओं और वृद्ध श्रमिकों में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने, नए कौशल बनाए रखने और प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है;
- (ख) यदि हां, तो मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र श्रम बल में महिला श्रमिकों की भागीदारी की तिमाही-वार स्थिति क्या है; और
- (घ) देश में श्रम में महिलाओं की भागीदारी की दर में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 30.0%, 32.5% एवं 32.8% थी, जो वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 28.7%, 31.4% एवं 31.7% थी जो महिला रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तिमाही अनुमान केवल शहरी क्षेत्रों के लिए जारी किए जाते हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कौशल भारत मिशन की भी शुरूआत की है।
